पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–25] रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 अगस्त, 2024 ई0 (भाद्रपद 02, 1946 शक सम्वत्) [संख्या–34

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	609–623	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	295–299	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	225–237	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

26 जुलाई, 2024 ई0

संख्या–22 नो–एम/XXXVI-A-1/2024–01 नो–एम/2008–श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री सूरज प्रकाश शर्मा, अधिवक्ता को दिनांक 26–07–2024 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला ऊधमसिंह नगर की तहसील बाजपुर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री सूरज प्रकाश शर्मा का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of **Notification No. 22/No-M/XXXVI-A-1/2024-01 No-M/2008,** dated July 26, 2024.

NOTIFICATION

Appointment

July 26, 2024

No. 22/No-M/XXXVI-A-1/2024-01 No-M/2008--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Suraj Prakash Sharma, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 26-07-2024 for Tehsil Bajpur, District Udhamsingh Nagar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Suraj Prakash Sharma be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना

नियुक्ति

02 अगस्त, 2024 ई0

संख्या–25/नो0डी0/XXXVI-A-1/2024–16 नो0डी0/2023–श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री मनोज सिंह, अधिवक्ता को दिनांक 02–08–2024 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री मनोज सिंह का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of **Notification No. 25/No-D/XXXVI-A-1/2024-16 No-D/2023,** dated August 02, 2024.

NOTIFICATION

Appointment

August 02, 2024

No. 25/No-D/XXXVI-A-1/2024-16 No-D/2023--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Manoj Singh, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 02-08-2024 for Tehsil Yamkeshwar, District Pauri Garhwal and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Manoj Singh be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना

नियुक्ति

09 अगस्त, 2024 ई0

संख्या–16/नो0के0/XXXVI-A-1/2024–08 नो0के0/2018–श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री भवान राम, अधिवक्ता को दिनांक 09–08–2024 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील जैंती, जिला अल्मोड़ा में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री भवान राम का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of **Notification No. 16/No-K/XXXVI-A-1/2024-08 No-K/2018,** dated August 09, 2024.

NOTIFICATION

Appointment

August 09, 2024

No. 16/No-K/XXXVI-A-1/2024-08 No-K/2018--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Bhawan Ram, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 09-08-2024 for Tehsil Jainti, District Almora and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Bhawan Ram be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना

नियुक्ति

09 अगस्त, 2024 ई0

संख्या–24 / नो0एम0 / XXXVI-A-1 / 2024–23 नो0एम0 / 2023–श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री लवेन्द्र सिंह, अधिवक्ता को दिनांक 09–08–2024 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री लवेन्द्र सिंह का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

प्रदीप पन्त,

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of **Notification No. 24/No-M/XXXVI-A-1/2024-23 No.-M/2023**, dated August 09, 2024.

NOTIFICATION

Appointment

August 09, 2024

No. 24/No-M/XXXVI-A-1/2024-23 No.-M/2023--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Lavendra Singh, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 09-08-2024 for Tehsil Kashipur, District Udham Singh Nagar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Lavendra Singh be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

PRADEEP PANT,

Principal Secretary, Law-cum-L.R.

शहरी विकास अनुभाग–3

अनन्तिम अधिसूचना

05 अगस्त, 2024 ई0

संख्या–229861/IV(3)/2024–11 (02 निर्वा0)/2022–उत्तराखण्ड की नवगठित नगर पंचायत, मुनस्यारी, जनपद–पिथौरागढ़ के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप जिसे श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007) की धारा–11क एवं धारा–11ख में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जारी करने का प्रस्ताव करते है, उक्त धारा की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिए आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं।

प्रस्तावित अधिसूचना के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो, तो वह लिखित रूप में जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को प्रेषित की जायेगी। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 07 दिनों के भीतर प्राप्त होगी।

प्रस्तावित अधिसूचना

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007) की धारा–11क एवं 11ख की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पंचायत मुनस्यारी क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते है :–

(1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिए उक्त नगर पंचायत क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 से 6 में उल्लिखित किया गया है।

आज्ञा से,

नितिन सिंह भदौरिया,

अपर सचिव।

नगर पंचायत मुनस्यारी, जनपद– पिथौरागढ

क्र0सं0	वार्ड संख्या	वार्ड का नाम	वार्ड की जनसंख्या	वार्ड की सीमा	वार्ड में सम्मिलित मौहल्लों के नाम
1	2	3	4	5	6
1	1	सरमोली वार्ड	681	पूरब–जौलजीबी–मुनस्यारी रोड पश्चिम–वन पंचायत सरमोली क्षेत्र उत्तर–शंखधूरा रौली दक्षिण– भालू खोल्टा रौली	1–शंखधूरा 2–सरमोली 3–थाना बैण्ड पल्ला
2	2	नानासेम वार्ड	698	पूरब–मिलमदूंग पैदल मार्ग पश्चिम–जौलजीबी–मुनस्यारी रोड उत्तर–चॉदनी तोक दक्षिण–भालू खोल्टा रौली	1–नानासेम 2–शान्तीकुॅज 3–मिलन कुटिया 4–चॉदनी
3	3	जैती वार्ड	579	पूरब–नमजला गॉव पश्चिम–मिलमदूंग पैदल मार्ग उत्तर–मिनाल गॉव रौली दक्षिण–भालू खोल्टा रौली	1–जैती 2–भूमियाबाडा
4	4	बूॅगा वार्ड	998	पूरब–बनियॉ गॉव पश्चिम–मुनस्यारी–जौलजीबी / डांडाधार मार्ग उत्तर–भालू खोल्टा रौली दक्षिण–मानेपातल रौली	1–तल्ला बूॅगा 2–मल्ला बूॅगा 3–मुनस्यारी बाजार
5	5	अम्बेडकर वार्ड	698	पूरब–जौलजीबी–मुनस्यारी रोड पश्चिम–आरक्षित वनक्षेत्र उत्तर–भालू खोल्टा रौली दक्षिण–मानेपातल रौली	1–मल्ला नया बस्ती 2–तल्ला नया बस्ती 3–थाना बैण्ड वल्ला
6	6	मल्ला घोरपट्टा वार्ड	989	पूरब–अस्पताल लाईन–डांडाधार मोटर मार्ग पश्चिम–आरक्षित वन क्षेत्र उत्तर– मानेपातल रौली दक्षिण– गुमसेन रौली	1–गुमसेन 2–अस्पताल लाईन 3–नेपाल गली 4–आई0टी0बी0 पी0 5–शिवमन्दिर 6–बस स्टेशन 7–भुमकापानी

1	2	3	4	5	6
7	7	तल्ला घोरपट्टा वार्ड	711	पूरब–बनियाँ गाँव पश्चिम–अस्पताल लाईन–डांडाधार मोटर मार्ग उत्तर–मानेपांतल रौली दक्षिण–गुमसेन रौली	1–खोली 2–तल्ला घोरपट्टा 3–मर्तोलीबाड़ा 4–फतेपुर 5–राछुसेन

आज्ञा से,

नितिन सिंह भदौरिया,

अपर सचिव।

शहरी विकास अनुभाग–3

अधिसूचना

15 अगस्त, 2024 ई0

संख्या–1037/IV(3)/2024–11 (03 निर्वा0)/2022–उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007) की धारा–11क एवं 11ख की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पालिका परिषद्, खटीमा, जिला–ऊधमसिंह नगर क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते है :–

(1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिए उक्त नगर पालिका क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 से 6 में उल्लिखित किया गया है।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार शुक्ल,

उप सचिव।

नगर पालिका परिषद् खटीमा–ऊधम सिंह नगर

क्र0सं0	वार्ड सख्या	वार्ड का नाम	वार्ड की जनसंख्या	वार्ड की सीमा	वार्ड में सम्मिलित मौहल्लों के नाम
1	2	3	4	5	6
1	1	उमरूखुर्द वार्ड	3860	**पूरब**–नहर से कंजाबाग रोड होते हुये दूध डेरी रोड तक। **पश्चिम**– राजस्व ग्राम सुजिया की सीमा से पूर्व तक। **उत्तर**– कंजाबाग रोड नहर होते हुए ग्राम सुजिया की पूर्वी सीमा तक। **दक्षिण**– कंजाबाग रोड से दूध डेरी रोड होते हुये ग्राम सुजिया की सीमा तक।	उदय कालौनी ब्यानधुरा कालौनी
2	2	कंजाबाग पटिया वार्ड	3980	**पूरब**–कंजाबाग नगर से खकरा नाला होते हुये विशाल के मकान तक पश्चिम–कंजाबाग नगर से कंजाबाग रोड होते हुए जानकी मण्डप से पूर्व की ओर। उत्तर–कंजाबाग नहर तक। दक्षिण–विशाल के मकान से तसलीम के मकान को लेते हुए सुरेन्द्र शिव कुमार के खेत की दक्षिणी मेढ से रास्ते तक। शिवकुमार के खेत की दक्षिणी मेढ़ से बाग तक, बाग से बाबू प्रधान के घर तक। बाबू प्रधान के घर से पश्चिम की ओर कंजाबाग रोड तक।	उत्तरांचल कालौनी सैनिक कालौनी पूर्णागिरी कालौनी
3	3	टिगरी वार्ड	3676	**पूरब**–नदन्ना नहर पुल से दक्षिण रेलवे लाईन होते हुए ग्राम अमाउ की उत्तरी सीमा से पूरब की ओर गिरीश भट्ट के मकान को लेते हुए नहर–नहर धामी जी के बारात घर तक। **पश्चिम**–नयारा पैट्रोल पम्प से उत्तर की ओर अलक्ष्या पब्लिक स्कूल को लेते हुए पुष्कर सिंह को खेत को लेते हुए उत्तर की ओर नदन्ना नहर तक। **उत्तर**–नहर न0 3 वाली रोड से	साईधर्म कॉटा, टिगरी चौराहा

1	2	3	4	5	6
				पूरब की ओर रेलवे लाईन तक। **दक्षिण**– धामी जी के बारात घर से नयारा पैट्रोल पम्प तक।	
4	4	ईदगाह वार्ड	3936	**पूरब**–विशाल के मकान से दक्षिण दिशा में खकरा नाला होते हुए ईदगाह तक। **पश्चिम**–नफीस खॉ के मकान से उत्तर को मास्टर साहब के मकान(गौंच वाले) से मेंहदी हसन की चक्की को होते हुए सुरेन्द्र व शिवकुमार के खेत की दक्षिण मेढ तक पूर्व में। **उत्तर**–विशाल के मकान से तसलीम के मकान को लेते हुए सुरेन्द्रव शिवकुमार के खेत की दक्षिण मेढ से रास्ते तक। **दक्षिण**–ईदगाह को लेते हुए जाहिद चिकन से अशफाक अंसारी के मकान से पश्चिम की ओर नफीस खॉ के मकान तक उत्तर की ओर	मदीना मस्जिद, नई बस्ती
5	5	पूर्णागिरि कॉलोनी वार्ड	3631	**पूरब**–नैनीताल फलोर मिल्स से उत्तर की ओर अलक्ष्या पब्लिक स्कूल के सामने नहर न0 3 वाली रोड से पंकज राठौर के मकान व नहर न0 3 वाली रोड के दोनो ओर के मकानों को लेते से नदन्ना नहर तक। **पश्चिम**–नदन्ना नहर से दक्षिण की ओर खकरा नाले होते हुए नैनीताल फलोर मिल्स। **उत्तर**–नदन्ना नहर न0 3 रोड से पश्चिम की ओर खकरा नाले की सीमा तक। **दक्षिण**–नैनीताल फलोर मिल्स खकरा तक।	अमाऊँ, पूर्णागिरी कॉलोनी, सरदार पट्टी, पहाड पट्टी
6	6	झनकईया	3530	**पूरब**– लोहिया हैड रोड पौलिप्लकस फैक्ट्री से उत्तर की ओर ग्राम अमाउ की सीमा तक। **पश्चिम**–जुनेजा फलोर मिल्स से उत्तर की ओर रोशन राम के घर से पूरब की ओर सडक को लेते हुए धामी जी के बारात घर के सामने से उत्तर की ओर ग्राम	पंचशील कॉलौनी, पॉलीप्लैक्स, सर्राफ पब्लिक स्कूल, एम0जे0मार्केट

1	2	3	4	5	6
				अमाउ की सीमा गिरीश भट्ट के मकान तक। **उत्तर**—ग्राम अमाउ की सीमा पूरब की ओर वन विभाग की सीमा तक। **दक्षिण**— जुनेजा फ्लोर मिल्स से पूरब मे पोलिप्लकस फैक्ट्री से लगे नाले तक।	
7	7	रजा मस्जिद वार्ड	4120	**पूरब**—कब्रिस्तान की उत्तर की बाउन्ड्री से खकरा नाला होते हुए रईस के मकान तक। **पश्चिम**—याकूब शाह के मकान से डा0 अफसार के मकान तक। **उत्तर**—कब्रिस्तान को लेते हुए याकूब शाह के मकान तक। **दक्षिण**—रईस के मकान से पश्चिम दिशा की ओर जमीर के मकान को लेते हुए अनीस खॉ से लेकर अनीस कुरैशी के मकान को लेते हुए शेर खॉ चौक तक। शेर खॉ चौक से डा0 अफसार के मकान तक।	ईदगाह
8	8	इस्लामनगर वार्ड	4130	**पूरब**—जानकी मण्डप से इस्लाम नगर रोड होते हुए कादरी क्लिनिक तक। **पश्चिम**—जानकी मण्डप से ऐठा नाला **उत्तर**—जानकी मण्डप पश्चिम दिशा की ओर सलीम अंसारी के मकान तक। **दक्षिण**—कादरी क्लिनिक से पप्पू घडी वाली की पुलिया तक।	इमामबाडा, खानकाह, खुशबू मैरिज हॉल
9	9	कुरैशी मस्जिद वार्ड	4189	**पूरब**—अययूब के मकान से खकरा नाले के साथ साथ स्लाटर हाउस के दक्षिणी दीवार तक। **पश्चिम**— नूर मोहम्मद फड वाले के मकान से शेर खॉ चौक से इस्लाम नगर रोड होते हुए बाबू कुरैशी के मकान को लेते हुए नूरी मस्जिद तक। नूरी मस्जिद से आलम कुरैशी के मकान तक। **उत्तर**—नूर मोहम्मद फड वाले के मकान से डा0 रईस के क्लिनिक से खकरा नाले तक। **दक्षिण**—आलम कुरैशी के मकान	स्लाटर हाउस, नूरी मस्जिद

1	2	3	4	5	6
				से होते हुए स्लाटर हाउस की दीवार तक।	
10	10	गौटिया वार्ड	4139	पूरब–टनकपुर रोड स्थित सन्तोष मल्होत्रा की दुकान से उत्तर की ओर श्मशान घाट के पास खकरा नाले की पुलिया तक। पश्चिम–कुरैशी मस्जिद से दक्षिण की ओर गुड्डु के मकान को लेते हुए ईशाक के मकान तक। उत्तर–कुरैशी मस्जिद के उत्तर वाले रास्ते को लेते हुए स्लाटर हाउस नाले तक। स्लाटर हाउस से श्मशान घाट के पास खकरा नाले की पुलिया तक। दक्षिण–ईशाक के मकान से ऐंठा नाले होते हुए अख्तर अली के मकान तक व अख्तर अली के मकान से टनकपुर रोड स्थित सन्तोष मल्होत्रा की दुकान तक।	शर्फी नर्सरी स्कूल, गौटिया, आजाद नगर, रहीम नगर
11	11	न्यू तहसील वार्ड	3840	पूरब–किशन सिंह के मकान से (खकरा नाले होते हुए) मछली मण्डी की पुलिया तक। पश्चिम–सितारगज रोड भूड नहर से उत्तर की ओर ग्राम सुजिया की सीमा तक। उत्तर–ग्राम सुजिया की पूरब सीमा से दूध डेरी होते हुए कंजाबाग रोड तक। दक्षिण–मछली मण्डी की पुलिया से सितारगंज रोड होते हुए भूड नहर तक।	थारू राजकीय इण्टर कॉलेज, शिव मन्दिर, कंजाबाग, नागरिक चिकित्सालय, न्यू तहसील
12	12	महोलिया वार्ड	3840	पूरब–नन्दा बल्लभ गहतोडी के घर से नहर होते हुए सितारगंज रोड से को पार करते हुए तारा चन्द के मकान तक। तारा चन्द के मकान से खटीमा की ओर मनोज सिंह देउपा की दुकान से दक्षिण में डिग्री कॉलेज रोड होते हुए डा0 कल्याण सिंह के मकान तक। डा0 कल्याण सिंह के मकान से गंगा सिंह के मकान व गंगा सिंह मुण्डेला के मकान से किड जी स्कूल होते हुए ओझा जी की दुकान लेते हुए नहर तक।नहर से लेकर कैलाशचन्द	थारू विकास भवन, लोहियापूल, आर्दश कॉलौनी

1	2	3	4	5	6
				के घर तक। पश्चिम–ग्राम महोलिया की सीमा से दक्षिण दिशा में लोहिया पुल से ग्राम महोलिया के ख0न0 393 तक। उत्तर–ग्राम महोलिया के ख0न0 01 से पूरब दिशा में नन्दाबल्लभ गहतोडी के पास नहर तक दक्षिण–ग्राम महोलिया के ख0न0 393 से पूरब दिशा में ज्योति क्रिएटिव स्कूल से ग्राम महोलिया की दक्षिणी सीमा में कैलाशचन्द के घर तक।	
13	13	अम्बेडकर नगर वार्ड	3941	पूरब–ऐंठा नाले की परगणेश इम्पोरियम से पीलीभीत रोड से वन निगम तक। पश्चिम–सुभाष बिष्ट के मकान से सरस्वती कोचिंग सेन्टर होते हुए राजेश पाण्डे से होते हुए योगेश पन्त एडवोकेट के मकान से होते हुए जीवन ओली की दुकान से होते हुए नहर से पहले धीरज पाण्डे की दुकान को होते हुए दीपा जोशी के मकान तक। उत्तर–ऐंठा नाले की परगणेश इम्पोरियम से पश्चिम की ओर कोतवाली होते हुए सुभाष बिष्ट के मकान तक। दक्षिण–दीपा जोशी के मकान से ग्राम महोलिया की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम खटीमा में रमेश जोशी की लकडी की टाल पीलीभीत रोड तक।	वाल्मिकी बस्ती, पुरानी तहसील, कुर्मांचल कॉलौनी, डिग्री कॉलेज, टीचर कॉलौनी
14	14	सनातन धर्मशाला रेलवे स्टेशन वार्ड	3760	पूरब–खकरा नाले से रेलवे लाईन होते हुए खेतल सण्डा फाटक तक। पश्चिम–खकरा नाले की पुलिया से वत्रा राईस मिल्स से दक्षिण दिशा की ओर पीलीभीत रोड होते हुए वन निगम तक। उत्तर–वत्रा राईस मिल्स से रेलवे लाईन तक। दक्षिण–वन निगम से पूरब की ओर रेलवे लाईन तक।	रेलवे कॉलौनी, सनातन धर्मशाला, होटल वेस्ट व्यू, पंजाबी कॉलौनी

1	2	3	4	5	6
15	15	राजीव नगर वार्ड	3734	**पूरब**—शहीद गोविन्द सिंह के गेट से पश्चिम की ओर जितेन्द्र ठाकुर के घर के सामने वाली गली से होते हुए रस्तोगी के मकान को लेते हुए मिश्रा जी के प्लाट व सतनाम सिंह का खेत लेते हुए महेन्द्र गुप्ता के मकान को लेते हुए जानकी ओली के प्लाट तक। पश्चिम—रेलवे लाईन। उत्तर—लोहिया हैड रोड रेलवे लाईन से पूर्व की दिशा की ओर शहीद गोविन्द सिंह के गेट। दक्षिण—मेला घाट रोड पूरब दिशा की ओर जान की ओली के प्लाट तक।	
16	16	पकडिया वार्ड	3680	पूरब—लोहिया हैड रोड स्थित फाईबर फैक्ट्री के पूरब में नाले से होते हुए मेला घाट रोड तक वन विभाग की सीमा से पश्चिम में। पश्चिम—सुरेश जीना के मकान से दक्षिण दिशा में प्रेम सिंह के प्लाट को लेते हुए पूरब दिशा में ईश्वरी चन्द मोर्या के मकान से होते हुए राघव प्रसाद यादव के मकान से एम0डी0 गौतम के मकान से प्रमोद रस्तोगी के मकान तक। उत्तर—सुरेश जीना के मकान से पूरब दिशा में होते हुए फाईबर फैक्ट्री की सीमा तक। **दक्षिण**—प्रमोद रस्तोगी के मकान से पूरब दिशा मे होते हुए शराब भट्टी की सीमा तक।	बंगाली कॉलौनी, पकडिया, राना कॉलौनी, झनकईया
17	17	शिव कॉलोनी वार्ड	3890	पूरब—रमेश जोशी की लकडी टाल से दक्षिण पीलीभीत रोड होते हुए मुन्डेली चौराहे तक। पश्चिम—गीता जोशी के मकान से नौगवा ठग्गू नहर होते हुए गोरी शंकर महादेव मन्दिर होते हुए नौगवा ठग्गू रोड निगम नहर पुलिया बबलू सिद्दकी के पोल्टी फार्म तक।	शिव कॉलोनी नौगवाठग्गू

1	2	3	4	5	6
				उत्तर–गीता जोशी के मकान से पूरब की ओर रमेश जोशी की लकडी की टाल पीलीभीत रोड तक। **दक्षिण**–नौगवाठग्गू रोड निगमनहर पुलिया बबलू सिद्दकी के पोल्टी फार्म से मुन्डेली चौराहे तक।	
18	18	खेतलसण्डा खाम वार्ड	3600	**पूरब**–रंजीत सिंह पिलखवाल के मकान से दक्षिण दिशा में ग्राम खेतल सण्डा की सीमा तक। **पश्चिम**–मेला घाट रोड से रेलवे लाईन होते हुए ग्राम खेतल सण्डा की सीमा तक। **उत्तर**–रेलवे लाईन से रंजीत सिंह पिलखवाल के घर तक। **दक्षिण**–रेलवे लाईन होते हुए ग्राम खेतलसण्डा की दक्षिणी सीमा होते हुए एलकेमिस्ट रोड तक।	खेतलसण्डाखाम
19	19	ऊचीमहुवट वार्ड	3201	**पूरब**–मेलाघाट रोड से वन विभाग की सीमा से पश्चिम दिशा को जाते हुए ऊँची महुवट रोड तक। **पश्चिम**–मेलाघाट रोड से रफीक के मकान से दक्षिण दिशा में ग्राम खेतलसण्डा की सीमा तक। **उत्तर**–मेलाघाट रोड को लेते हुए रफीक के मकान से पूरब की दिशा में तुलसी के घर तक। **दक्षिण**–वन विभाग की सीमा से पश्चिम की ओर ऊँचीमहुवट रोड होते हुए नाले तक व ग्राम खेतलसण्डा की सीमा एलकेमिस्ट रोड तक।	ऊँचीमहुवट
20	20	मुण्डेली वार्ड	3502	**पूरब**–राधा स्वामी सत्सग भवन के उत्तरी सीमा के बाद रेलवे लाईन से लेकर चॉदा रोड तक। **पश्चिम**–नौगवाठग्गू रोड निगम नहर पुलिया बबलू सिद्दकी के पोल्टोफार्म के आगे से ईस्टर फैक्ट्री तक। **उत्तर**–नौगवाठग्गू रोड निगम नहर पुलिया बबलू सिद्दकी के पोल्टीफार्म से मुन्डेली चौराहे होते हुए राधा स्वामी सत्संग भवन तक।	मुडेली, नोजगे पब्लिक स्कूल, तारा बाल संस्थान, भुजिया न0–03

1	2	3	4	5	6
				दक्षिण—ईस्टर फैक्ट्री के दक्षिण में रास्ते को लेते हुए पीलीभीत रोड को पार करते हुए मस्जिद वाली गली से होते हुए रेलवे लाईन तक।	

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 34 हिन्दी गजट/347–भाग 1–2024 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 अगस्त, 2024 ई0 (भाद्रपद 02, 1946 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

July 12, 2024

No. 311/XIV-a-39/Admin.A/2020--Shri Ashish Tiwari, Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee District Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 25 days w.e.f. 19.02.2024 to 14.03.2024 with permission to prefix 18.02.2024 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

July 26, 2024

No. 316/XIV-a-43/Admin.A/2020--Shri Shrey Gupta, the then Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh, District Dehradun presently posted as Civil Judge (Jr. Div.), Narendra Nagar District Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 01.04.2024 to 12.04.2024 with permission to suffix 13.04.2024 & 14.04.2024 as second Saturday & Sunday holidays respectively.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over)

July 01, 2024

No. 3546/UHC/Admin.A-2/2024--CERTIFIED that the charge of office of the Registrar General, High Court of Uttarakhand, Nainital alongwith the additional charge of office of the Registrar (Vigilance), High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the forenoon of July 01, 2024, in compliance of Notification No.262/UHC/Admin.A-2/2024 dated 26th June, 2024 of High Court of Uttarakhand, Nainital.

KAHKASHA KHAN,

Relieving Officer.

Countersigned

MANOJ GARBYAL,

Registrar (Judicial)

High Court of Uttarakhand, Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

August 02, 2024

No. 4202 UHC/Admin.(A)/2024--Certified that the Charge of the Office of the Deputy Registrar in the establishment of High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the afternoon of August 02, 2024, pursuant to Notification No. 317/UHC/Admin.(A)/2024, Dated August 02, 2024 of High Court of Uttarakhand, Nainital.

NAVEEN CHANDRA KIMARI,

Relieving Officer.

Countersigned

illegible,

For Registrar General.

CHARGE CERTIFICATE

August 02, 2024

No. 4203 UHC/Admin.(A)/2024--Certified that the Charge of the Office of the Deputy Registrar in the establishment of High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the afternoon of August 02, 2024, pursuant to Notification No. 317/UHC/Admin.(A)/2024, Dated August 02, 2024 of High Court of Uttarakhand, Nainital.

ANIL KUMAR JOSHI,

Relieving Officer.

Countersigned

illegible,

For Registrar General.

CHARGE CERTIFICATE

August 02, 2024

No. 4204 UHC/Admin.(A)/2024--Certified that the Charge of the Office of the Deputy Registrar in the establishment of High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the afternoon of August 02, 2024, pursuant to Notification No. 317/UHC/Admin.(A)/2024, Dated August 02, 2024 of High Court of Uttarakhand, Nainital.

HARISH CHANDRA PANDEY,
Relieving Officer,

Countersigned
illegible,
For Registrar General.

NOTIFICATION

August 02, 2024

No. 317/UHC/Admin.(A)/2024--The following Assistant Registrars of the Court are promoted to the post of Deputy Registrar in the pay scale of ₹ 78800- 209200 (Level-12) in the establishment of High Court of Uttarakhand, Nainital from the date of their taking over charge:

1. Shri Naveen Chandra Kimari.
2. Shri Anil Kumar Joshi.
3. Shri Harish Chandra Pandey.

"वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम–22(ए) (1) एवं 22–बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण सम्बन्धी तिथि विकल्प दिए जाने हेतु इस आदेश निर्गमन की तिथि से एक माह की समय–सीमा सरकारी सेवक को उपलब्ध होगी और एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।"

By order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/-
Registrar General.

NOTIFICATION

August 02, 2024

No. 318/UHC/Admin.A-2/2024--In exercise of powers conferred U/s 9(3) of *"The Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023"*, following Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Jr. Div.), Batch-2021 are hereby conferred with the powers of Judicial Magistrate 1st Class to exercise these powers within the districts where they remain posted:

S.No.	Name of the Officer
1.	Shri Anoop Singh Bhakuni
2.	Ms. Hina Kausar
3.	Ms. Nancy Chhabra
4.	Ms. Sonam Rawat
5.	Shri Abhishek Kumar Mishra
6.	Shri Jatin Mittal
7.	Shri Naveen Rana
8.	Ms. Tanya Middha

NOTIFICATION

August 05, 2024

No. 319/UHC/Admin.A-2/2024--In exercise of powers conferred by Sub section (2) of Section 19 of **"The Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887 as amended upto date"** [also applicable to the State of Uttarakhand], the High Court is pleased to direct that following officers of Civil Judge (Jr. Div.), Batch-2021, posted in the State of Uttarakhand shall have jurisdiction to try Civil Suits of pecuniary value not exceeding ₹ 3.00 Lakh:--

S.No.	Name of the Officer
1.	Shri Anoop Singh Bhakuni
2.	Ms. Hina Kausar
3.	Ms. Nancy Chhabra
4.	Ms. Sonam Rawat
5.	Shri Abhishek Kumar Mishra
6.	Shri Jatin Mittal
7.	Shri Naveen Rana
8.	Ms. Tanya Middha

By Order of the Court,
Sd/-
SUJEET KUMAR,
Registrar,
For Registrar General.

NOTIFICATION

August 07, 2024

No. 320/XIV/a-39/Admin.A/2009--Ms. Jyotsna, the then Additional Chief Judicial Magistrate, Nainital presently posted as Joint Registrar (Judicial & Admin), Uttarakhand Public Service Tribunal, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 26.04.2024 to 09.05.2024.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection)

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

June 28, 2024

No. 1253/III-A-12/SLSA/2024--In view of the powers conferred under Section-9(3) of the Legal Services Authorities Act, 1987, Rule-12(1) of the Uttarakhand State Legal Services Authority (Amendment) Rules, 2015 and in pursuance of the recommendation Letter dated 27th June, 2024 of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital is pleased to appoint **Shri Yogendra Kumar Sagar, Civil Judge (Sr. Div.), Karnprayag, District Chamoli as Secretary, District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar.**

Note :-- **In light of the direction of the Hon'ble High Court, the said posting shall come into force w.e.f. 01.07.2024.**

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,
Sd/-
PRADEEP KUMAR MANI,
Member-Secretary.

OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE, PITHORAGARH

CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE

May 15, 2024

Letter No. 540 DLSA/2024--Certified that the office of the Secretary District Legal Services Authority, Pithoragarh was transferred under the orders of Hon'ble High Court's letter No. 120/UHC/Admin.A-2/2024, dated April 23, 2024 as hereinafter denoted, in the afternoon of **May 15, 2024.**

VIBHA YADAV,
Secretary,
District Legal Services Authority,
Pithoragarh.

Counter-signed
illegible,
District Judge,
Pithoragarh.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 34 हिन्दी गजट/347—भाग 1—क—2024 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 अगस्त, 2024 ई0 (भाद्रपद 02, 1946 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरी एल0आई0सी0 पॉलिसी संख्या 271287882 में मेरा नाम CHARAN JEET दर्ज है। लेकिन निजी कारणों से मैंने अपना नाम CHARAN JEET से बदलकर JEET KUMAR BAJAJ कर लिया है, भविष्य में मुझे JEET KUMAR BAJAJ S/O KISHAN CHAND BAJAJ के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

जीत कुमार बजाज पुत्र श्री किशन चन्द बजाज
निवासी 110 पूर्वी अम्बर तालाब
रूडकी तहसील रूडकी जिला हरिद्वार
उत्तराखण्ड।

सूचना

मैं क्षेत्र बहादुर थापा पुत्र श्री बल बहादुर थाना निवासी ग्राम व पोस्ट छिद्दरवाला तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून मेरे हाईस्कूल के सर्टिफिकेट में मेरा नाम क्षेत्र बहादुर अंकित है। जबकि मेरे अन्य प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड व समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम क्षेत्र बहादुर थापा (CHHETRA BAHADUR THAPA) पुत्र श्री बल बहादुर थापा अंकित है। भविष्य में मुझे क्षेत्र बहादुर थापा (CHHETRA BAHADUR THAPA) पुत्र श्री बल बहादुर थापा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

क्षेत्र बहादुर थापा (CHHETRA BAHADUR THAPA)
पुत्र श्री बल बहादुर थापा निवासी ग्राम व पोस्ट छिद्दरवाला
तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून

सूचना

मेरी पुत्री KATYAYINI के हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 22029450 प्रमाण–पत्रों में त्रुटिवश माता का PRERNA GUPTA व पिता का नाम MANOJ GUPTA गलत दर्ज हो गया है। जबकि माता का सही नाम PRERANA BALI व पिता का सही नाम MANOJ KARNWAL है। भविष्य में मेरी पुत्री को KATYAYINI D/O PRERANA BALI W/O LATE MANOJ KARNWAL के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

PRERANA BALI W/O LATE MANOJ KARNWAL
निवासी हाउस नं0 94, अदवैतानंद मार्ग ऋषिकेश

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 848623773894 में त्रुटिवश मेरा नाम K M ANJLI दर्ज हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम KM. ANJLI है, भविष्य में मुझे KM. ANJLI D/O RISHIPAL के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाय।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

KM. ANJLI D/O RISHIPAL
निवासी नई बस्ती चिरंजिपुर
विकासनगर, देहरादून

कार्यालय नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर

ट्रेड लाइसेन्स उप–नियम 2023

22 फरवरी, 2024 ई0

पत्रांक 402/ट्रे०ला०उप०नि०/2023-2024 दिनांक 22.02.2024, द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 294 के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर सीमान्तर्गत व्यवसाय करने वाले विभिन्न व्यवसायियों को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से एक संयुक्त लाइसेन्स उपविधि बनाने के लिए नगर पंचायत गरूड़-बागेश्वर की विशेष बैठक दिनांक 30.01.2023 में प्रस्ताव सं 2 के माध्यम से रखा गया एवं आपत्ति एवं सुझाव हेतु विशेष सर्वसम्मति से पारित हुआ है | उपनियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी । जिसे उ० प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301 के अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इनका प्रभाव पड़ने की सम्भावना हैं उनसे आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन किया गया था | प्रकाशन के उपरान्त प्राप्त आपत्ति में प्रशासक महोदय द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया हैं | उक्त नियमावली गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होगी |

व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क उपविधि - 2023

अ) संक्षिप्त नाम और लागू होने की तिथि

क- यह नियम / उपविधि नगर पंचायत गरूड़ - बागेश्वर व्यवसायिक लाइसेन्स शुल्क उपविधि-2023 कहलायेगी ।

ख- ये उपविधि नगर पंचायत गरूड़ - बागेश्वर के सरकारी गजट प्रकाशन उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी ।

ग- ये उपविधि नगर पंचायत गरूड़-बागेश्वर की सीमाओं के भीतर लागू होगी।

ब) परिभाषा -

क- अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र०नगर पालिका अधिनियम 1916 जो कि वर्तमान में उत्ताराखण्ड प्रदेश में भी लागू है |

ख- नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत गरूड़-बागेश्वर से है ।

ग- अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत गरूड़-बागेश्वर के अधिशासी अधिकारी से है ।

घ- अध्यक्ष से तात्पर्य नगर पंचायत गरूड़-बागेश्वर के निर्वाचित अध्यक्ष से है ।

ङ- प्रशासक से तात्पर्य जिलाधिकारी बागेश्वर अथवा उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी से है ।

च- बोर्ड से तात्पर्य नगर पंचायत गरूड़-बागेश्वर के बोर्ड से है ।

छ- लाइसेन्सिंग / पंजीकरण अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत गरूड़-बागेश्वर के अधिशासी अधिकारी एवं कार्यालय द्वारा जिसे दायित्व सौंपा जाये से है ।

ज- व्यावसायिक लाइसेन्स शुल्क से तात्पर्य नगर पंचायत गरूड़-बागेश्वर क्षेत्रान्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न व्यवसायों पर दिये जाने वाले लाइसेन्स पर उनके लिए निर्धारित शुल्क से होगा।

झ- अवधि का तात्पर्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा (01 अप्रेल से 31मार्च) 01 वर्ष के लिए दिये जाने वाले व्यवसायिक लाइसेन्स से होगा।

स) नियम-

1.नगर पंचायत गरूड़-बागेश्वर क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी सूचीबद्द व्यवसायी व्यक्ति तभी व्यवसाय करने का पात्र होगा जब वह इस हेतु नगर पंचायत गरूड़-बागेश्वर से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर लाइसेन्स प्राप्त कर ले।

2.लाइसेन्स जारी करने हेतु लाइसेन्स अधिकारी अधिशासी अधिकारी होंगे या उनके द्वारा अधिकृत कोइ अधिकारी (यथा कर एवं राजस्व अधीक्षक/कर एवं राजस्व निरीक्षक आदि) होंगे।

3.लाइसेन्स अधिकारी को लाइसेन्स निर्गत करने से पूर्व उसके विवेकानुसार व्यवसायी/दुकान/प्रतिष्ठान/हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/एजेन्सी/कम्पनी/प्रशिक्षण केन्द्र आदि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा अथवा लाइसेन्स अधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी को जॉच करने पर ही लाइसेन्स निर्गत करेगा ।

4.कोई भी ऐसा व्यक्ति जो छूत की बीमारी से पीड़ित हो वो स्वंय ऐसा व्यवसाय नहीं करेगा और ना ही ऐसे व्यवसाय में किसी भी ऐसे व्यक्ति को सेवायोजित करेगा।

5.लाइसेन्स अधिकारी को इन उपविधियों के अधीन खान-पान से सम्बन्धित व्यवसाय होटल, दुकानों, हलवाइयों, सब्जी विक्रेताओं आदि की दुकान के निरीक्षण के समय पाई जाने वाली गन्दगी के विरूद्व अथवा सड़े -गले फल सब्जियों को रखने और विक्रय करने के विरूद्व कार्यवाही करने अथवा मानव अनुपयोगी पदार्थ को नष्ट करने का अधिकार होगा ।

6.प्रत्येक व्यापारी जो इस उपविधि मे सूचीबद्ध हो वह नगर पंचायत गरूड़-बागेश्वर कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा और व्यवसाय हेतु आवश्यक शुल्क जमा कर लाइसेन्स प्राप्त करेगा।

7.इन उपविधियों के अधीन खान-पान से सम्बन्धित व्यवसायियों, दुकानदारों, व्यक्तियों की दुकान के आस-पास व दुकान का कूड़ा व अन्य अनुपयुक्त गन्दी वस्तुएँ रखने व प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं होगा जो किसी व्यक्ति अथवा सामाजिक दृष्टि से हानिकारक/ जनस्वास्थ्य के विपरीत हो ।

8.लाइसेन्स धारक अपने लाइसेन्स / पंजीकरण का नवीनीकरण अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह से 31 मई तक नहीं कराता है तो उसे 31 मई के पश्चात प्रतिदिन विलम्ब शुल्क देय होगा जो कि नगर पंचायत गरूड़-बागेश्वर बोर्ड के अनुसार निर्धारित दरों पर होगा ।

9.कोई भी लाइसेन्स धारक अपना व्यवसाय कम या समाप्त अथवा परिवर्तित करेगा तो अपना लाइसेन्स निरस्त करने हेतु मय साक्ष्य / गवाहों के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा उसके उपरान्त लाइसेन्स अधिकारी निरीक्षण के बाद लाइसेन्स निरस्त करेगा।

10.नगर पंचायत गरूड़ - बागेश्वर क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी वस्तुओं का व्यवसाय नहीं करेगा जिस पर राज्य सरकार / शासन द्वारा पूर्ण निषेध किया जा चुका है।

11.इस उपविधि के प्रभावी होने की तिथि से स्वीकृत नियमावली में लिखित व्यवसायी/उद्यमी से सम्बन्धित पूर्व प्रभावी समस्त लाइसेन्स/दर उपनियम स्वतः समाप्त हो जाएगें तथा इस

नियम के अधीन रहेंगे । केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार या अन्य निधिनिहित संस्था के इस उपविधि में उल्लेखित व्यवसायों के नियंत्रण हेतु इन उपविधियों से भिन्न होंगे।

12.कोई व्यवसायी निर्धारित अवधि में लाइसेन्स नहीं बनाता है तो उससे लाइसेन्स धनराशि की वसूली हेतु अधिनियम 1916 यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) के अन्तर्गत प्रदत्त प्राविधानों भू राजस्व की भाँति वसूली करने का अधिकार नगर पंचायत गरूड़ - बागेश्वर में सुरक्षित रहेगा।

13.नगर पंचायत गरूड़ - बागेश्वर सीमान्तर्गत लगने वाले मेले में अस्थाई व्यवसाय की दरें जो व्यवसाय सूची में नहीं हैं उनकी लाइसेन्स दरें नगर पंचायत गरूड़ - बागेश्वर के कार्यकारिणी / समिति अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी द्वारा तय की जा सकेगी।

14.कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत गरूड़-बागेश्वर की सीमा के अन्तर्गत बोझ आदि ढोने अथवा मजदूरी के रूप में किये जा रहे पारिश्रमिक कार्य से पूर्व अपनी सत्यापन अभिलेख/दस्तावेज प्रमाणं प्रस्तुत (सुरक्षा की दृष्टि से) करेगा उसके पश्चात लाइसेन्स प्राप्त कर उक्त कार्य कर सकेगा।

15.नर्सिंग होम / हॉस्पिटल आदि को बायोमेडिकल वेस्ट नियम का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा साथ ही अपने प्रतिष्ठानों से उत्पादित बायोमेडिकल वेस्ट को स्वंय ही निस्तारित करेगा |

क. शैय्याओं / बैडों हेतु कक्षों (कमरों) की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

ख. पर्यावरण और शुद्ध वायु की संतोषजनक व्यवस्था हो।

ग. पानी/स्नानागार एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था हो।

घ-वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो जिस हेतु अधिशासी अधिकारी/कर एवं राजस्व निरीक्षक अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी समय-समय पर निरीक्षण करेंगे।

16.वैंकट हॉल व्यवसायियों द्वारा स्वच्छता के संबध में समय-समय पर बनाए गए नियम व एस डब्लू एम नियम 2016 का पालन प्रत्येक दशा में करना होगा । वाहनों हेतु पार्किंग होनी चाहिए एवं वाहन फुटपाथ पर खड़े नहीं किये जाएंगे।

17.अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रशासक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को किसी भी समय किसी भी व्यवसाय/दुकान का परीक्षण/निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

18.नगर पंचायत गरूड़-बागेश्वर द्वारा जारी किये जाने वाले लाइसेन्सों में यदि भारत सरकार/ राज्य सरकार/अन्य द्वारा लाइसेन्स/रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही नगर पंचायत गरूड़-बागेश्वर के लाइसेन्स/रजिस्ट्रेशन जारी किये जाएंगे।

19.ट्रान्सपोर्ट/मोटर वाहन सेल्स एवं सर्विस आदि फुटपाथ/सड़क पर नहीं करेगा।

20.यदि लाइसेन्स पंजीकरण जारी होने से विवाद उत्पन्न होता है तो अधिशासी अधिकारी के समक्ष उसकी अपील करनी होगी तथा अधिशासी अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आदेश की तिथि के 30 दिवस के अन्दर द्वितीय अपील नगर पंचायत गरूड़-बागेश्वर के अध्यक्ष/प्रशासक के समक्ष की जाएगी और अध्यक्ष/प्रशासक को 10 दिवस के अन्दर अपील का निस्तारण कर निर्णय देना हागा।

21.धुलाई लौन्ड्री हेतु पानी की निकासी प्राविधानिक तरीके से अपनाई जाएगी।

22.नगर पंचायत गरुड़ क्षेत्रान्तार्गत मीट व्यवसायों को अपने प्रतिष्ठानों की खिडकियों में काला शीशा व दरवाजा जालीदार लगवाना अनिवार्य है साथ ही प्रत्येक व्यवसायकर्ता को मीट का

व्यवसाय प्रथक एवं मुर्गा व मछली का व्यवसाय प्रथक –प्रथक रूप से किया जाना अनिवार्य होगा |

23.समस्त मीट व मुर्गा मछली व्यवसायकर्ताओं को अपने- अपने औजारों को साफ सुथरा रखना व सफाई की उचित व्यवस्था के साथ – साथ मांस हेतु लाल कोटन का कपडा रखना अनिवार्य होगा प्रतिष्ठानों को टाइलयुक्त होना अनिवार्य होगा साथ ही डस्टबीन भी रखना होगा अन्यथा की स्थिति में लाईसैंस निर्गत नहीं किया जायेगा |

दण्ड

नगर पालिका एक्ट की धारा 299(1) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत गरूड़-बागेश्वर आदेश देती है कि उपरोक्त उपविधियों के किसी भी नियमों का उल्लंघन करने पर शुल्क 1000.00रू0 (एक हजार रुपया) तक दण्ड दिया जा सकता है तथा यदि उल्लंघन जारी रहेगा तो अतिरिक्त दण्ड 25.00 रु० (पच्चीस रुपया) प्रतिदिन हो सकता है जो प्रथम दोष/निर्णय की तिथि से जब तक अपराध करता रहेगा दिया जायेगा । दण्ड की वसूली भू-राजस्व की भाँति होगी ।

लाइसेन्स हेतु मदवार दरें निम्नवत् हैं-

क्रम संख्या	मद /व्यवसाय का नाम	प्रस्तावित दर (रुपया)
(क)	खाद्य पदार्थ व्यवसाय	
1.	किराने की दुकान	600.00
2.	थोक किराना	2000.00
3.	पन की दुकान	200.00
4.	रेस्टोरेन्ट(चाय,छोले,चाय,नाश्ता)	500.00
5.	भोजनालय छोटे खुमचे (चावल दाल)	400.00
6.	रेस्टोरेन्ट(भोजनालयएवं मिठाई)	1000.00
7.	भोजनालय	800.00
8.	चाय, बिस्कुट	300.00
9.	हलवाई	500.00
10.	चांट, बतासा	300.00
11.	ड्राईफुड थोक	800.00
12.	ड्राईफुड फुटवर	600.00
13.	आटा चक्की /तिलहन	500.00
14.	ब्रेकरी /बिस्कुट फैक्टरी	1500.00
15.	मसाले थोक विक्रेता	1000.00
16.	मसाले फुटकर विक्रेता	600.00
17.	जूस कॉर्नर	300.00
18	जनरल स्टोर	500.00
19	सब्जी की दुकान	500.00
20	सब्जी गोदाम	1000.00
(ख)	मंदिरा की दुकान	
21	देशी मंदिरा की दुकान	20,000.00
22	अंग्रेजी मंदिरा की दुकान	30,000.00

23	बियर बार की दुकान	15,000.00
(ग)	इलैक्ट्रिक /इलैक्ट्रानिक व्यवसाय	
24	इलैक्ट्रिक की दुकान	1000.00
25	इलैक्ट्रानिक की दुकान	2000.00
26	केबिल नेटवर्क	5,000.00
27	जनरेटर एवं अन्य उपकरण	500.00
28	डी०जे०	2000.00
29	टेंट हाउस	5000.00
30	एफ० एम० टावर	10,000.00
31	कैसेट एवं डबिंग सेंटर	500.00
32	वैल्डिंग मशीन	800.00
33	मोबाईल रेपरिंग की दुकान	500.00
34	मोबाईल टावर	10,000.00
35	मोबाईल की दुकान	600.00
36	इंटरनेट कैफे	600.00
37	पी०सी०ओ०	500.00
38	कम्प्युटर प्रशिक्षण केन्द्र	1000.00
39	कम्प्युटर विक्रेता	1000.00
40	कम्प्युटर रिपेरिंग सेंटर	1000.00
41	घड़ी साज	200.00
42	प्रिंटिग प्रेस	3000.00
43	फोटो लैब	1500.00
44	फोटो ग्राफर	800.00
45	फोटो स्टेट /लेमिनेशन	500.00
46	फोटो फेमिंग	400.00
47	कारपेंटर की दुकान	1000.00
48	आरा मशीन	2000.00
(घ)	वाहन व्यवसाय	
49	दो पहिया वाहन शोरुम	3000.00
50	चार पहिया वाहन शोरुम	6000.00
51	वर्कशॉप (दो पहिया)	1000.00
52	वर्कशॉप (चार पहिया वाहन)	2000.00
53	मोटर पार्ट्स (दो पहिया वाहन)	600.00
54	मोटर पार्ट्स (चार पहिया वाहन)	800.00
55	टायर्स की दुकान	600.00
56	ट्रांस पोर्ट व्यवसाय	2000.00
57	पेट्रोल पम्प	5000.00
58	मोटर ड्राइविंग ट्रेनिग सेंटर	1000.00
59	मिट्टी के तेल की दुकान	1000.00
60	साईकिल स्टोर	500.00
61	साईकिल मरम्मत की दुकान	300.00
(ङ)	मेडिकल वयवसाय	
62	चश्में की दुकान	500.00
63	दातों का अस्पताल	1000.00
64	पैथोलाजी सैन्टर	1000.00
65	दवाई की दुकान आयुर्वेदिक	1000.00
66	दवाई की दुकान एलोपेथिक	1000.00
67	दवाई की दुकान होम्योपेथिक	1000.00

(च)	होटल व्यवसाय	
68	आवसीय होटल पांच शैय्या तक	1000.00
69	आवसीय होटल दस शैय्या तक	2000.00
70	आवसीय होटल दस शैय्या से अधिक	5000.00
71	आवसीय होटल एवं बारात घर सहित	10000.00
(छ)	कपड़ा व्यवसाय	
72	कपड़ा व्यापारी थोक	2000.00
73	कपड़ा व्यापारी फुटकर (50000.00)तक	800.00
74	कपड़ा व्यापारी फुटकर)50000.00)से अधिक	1200.00
75	रेडिमेंट पुराने कपड़ें की दुकान	600.00
76	कपड़ा रेडिमेंट की दुकान	1000.00
77	ऊनि /रेडीमेट ग्रामेंट्स की दुकान	1000.00
78	रुई गद्दे रजाई की दुकान	500.00
79	रुई गद्दे रजाई धुलाई एवं बुनाई	500.00
(ज)	बर्तन व्यवसाय	
80	बर्तन व्यापारी	600.00
(झ)	मांस विक्रय	
81	बकरी / बकरा, मुर्गा / मुर्गी	3000.00
82	सूअर मांस की दुकान	3000.00
83	मछली की दुकान	3000.00
(ञ)	पशुवध शुल्क	
84	बकरी बकरा प्रतिनग	100.00
85	मुर्गा / मुर्गी –मछली प्रति	100.00
86	सुअर प्रतिनग शुल्क	100.00
(ट)	अन्य व्यवसाय	
87	सीमेन्ट सरिया ईट विक्रेता	2000.00
88	हार्डवियर की दुकान	1000.00
89	फ़र्निचर की दुकान	1000.00
90	फर्नीचर मैकर्स	1000.00
91	मार्बल /टाइल्स की दुकान	1000.00
92	शीशा ग्लास सैन्टर / प्लाईवुड की दुकान	1000.00
93	अलमारी /बॉक्स स्टील आयरन वर्क्स	800.00
94	ग्रिल / चौखट /स्टील वकर्स	1000.00
95	शटरिंग हाउस	1000.00
96	मिठाई के डिब्बे मेकर्स	500.00
97	टेलर मास्टर (दो मशीन तक)	200.00
98	टेलर मास्टर(दो मशीन) से अधिक	500.00
99	पी०को०टेलर सेंटर	400.00
100	ड्राईक्लीनर्स / धोबी	500.00
101	बारबर की दुकान दो कुर्सी तक	200.00
102	बारबर की दुकान दो कुर्सी से अधिक	400.00
103	बुक सेलर	1000.00
104	ड्राफ्ट मैंन	500.00
105	जूता चप्पल(50000.00) तक	500.00
106	जूता चप्पल) 50000.00) से अधिक	1000.00
107	बिसाता की दुकान)20000.00) से नीचे	400.00
108	बिसाता की दुकान)20000.00) से अधिक	800.00

109	श्रृंगार केन्द्र / कास्मेटिक	1000.00
110	ब्यूटी पार्लर	1000.00
111	स्वर्णकार	1000.00
112	लौहार	100.00
113	मोची	100.00
114	व्यामशाला	600.00
115	साईन बोर्ड की दुकान	400.00
116	पेंटर्स / आटर्स वर्किंग	400.00
117	चाबी छल्ला बनाने की मशीन	200.00
118	बीज विक्रेता	200.00
119	स्टोप छाता,कुकर आदि रिपेयरिंग	200.00
120	डलिया सुपा	400.00
121	बैण्ड	2000.00
122	पल्लेदारी	.100.00
123	फेरी	300.00
124	घोड़े खच्चर प्रति नग	200.00
125	रिक्शा	200.00
126	हाथ ढेला	200.00
127	कबाड़ी की दुकान	1000.00
128	कार्यालय एडवोकेट	1000.00
129	खेल पुरुस्कार की दुकान	500.00
130	वीडियों गेम्स	500.00
131	व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थान	1000.00
132	अखबार / पत्रिका विक्रेता	200.00
133	प्रोपट्री डीलर कार्यालय	3000.00
134	कोरियर सेन्टर	400.00
135	कुत्ता लाइसेंस	500.00

राजेश कुमार जोशी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत गरुड़ बागेश्वर।

अनुराधा पाल,
जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय नगर पंचायत गरूड़, बागेश्वर

नगर पंचायत/उपविधि गृहकर/2023–24

22 फरवरी, 2024 ई0

पत्रांक 404/उ0गृह/2023–24 दिनांक 22–02–2024 द्वारा नगर पंचायत गरूड़ जिला बागेश्वर ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298(1) के द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 127/XXXVi(3)/2020-21 दिनांक 12–04–2021 के कम में नगर पंचायत गरूड़ जिला बागेश्वर द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत भूमि/भवन की व्यवस्था को नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु भवनकर लागू करने के लिए विशेष बैठक दिनांक 21अक्टूबर2023 में प्रस्ताव संख्या 01 के पारित निर्णय के अनुसार नगर पंचायत गरूड़ बागेश्वर क्षेत्रान्तर्गत भवन या भूमि या दोनों जैसी भी स्थिति हो का पूँजीगत मूल्य के आधार पर कर निर्धारण किया जाना है जिस हेतु नियमानुसार उप नियमावली प्रख्यापित किया जाना प्रस्तावित है। नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 300 (1) के अन्तर्गत उन समस्त व्यवसायों जिन पर इनका प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो उनसे आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन किया गया था, जिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। उक्त नियमावली गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

परिभाषा–

(क) अधिनियम का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 (यू0पी0 म्युनिसिपेलिटी एक्ट सं0 2,1916) से है।

(ख) यह उपविधि नगर पंचायत गरूड़ सीमा के अन्तर्गत भवन/भूमि कर निर्धारण हेतु उपविधि कहलायेगी।

(ग) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत गरूड़ के निर्वाचित अध्यक्ष से है।

(घ) बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत गरूड़ के निर्वाचित अध्यक्ष व सदस्यों के बोर्ड से है।

(ङ) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गरूड़ से है।

(च) प्रशासक का तात्पर्य जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी से है।

(छ) यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

(ज) निकाय का तात्पर्य नगर पंचायत गरूड़ से है।

भवन/भूमि कर निर्धारण उपनियमावली

भवन या भूमि या दोनों जैसी भी स्थिति हो का पूँजीगत मूल्य जो भवन के आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों जैसी भी स्थिति हो को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के परियाजनार्थ कलैक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट/निर्माण की दर जो प्रचलन में हो से गुणा करने पर प्राप्त वार्षिक पर सम्पत्ति कर की दर 0.25% होगी प्रत्येक वित्तिय वर्ष के माह 01 अप्रैल से 31 मार्च तक सम्पत्ति कर संग्रह होगा। नियत किये गये कर का भुगतान उस वित्तिय वर्ष में ना किये जाने पर अवशेष कर की राशि पर 10% अतिरिक्त सरचार्ज वसूला जायेगा।

राजेश कुमार जोशी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत ,गरूड़ बागेश्वर।

अनुराधा पाल,
जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय नगर पंचायत गरूड़–बागेश्वर

तहबाजारी उप–नियम 2023

22 फरवरी, 2024 ई0

पत्रांक 403/त०उप०नि०/2023-2024 दिनांक 22.02.2024, द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298(ङ) के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर सीमान्तर्गत व्यवसाय करने वाले विभिन्न व्यवसायियों को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से एक संयुक्त तहबाजारी उपविधि बनाने के लिए नगर पंचायत गरूड़-बागेश्वर की विशेष बैठक दिनांक 30.01.2023 में प्रस्ताव सं 3 के माध्यम से रखा गया एवं आपत्ति एवं सुझाव हेतु विशेष सर्वसम्मति से पारित हुआ है | उपनियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी। जिसे उ० प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301 के अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इनका प्रभाव पड़ने की सम्भावना हैं उनसे आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन किया गया था, जिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुए है | उक्त नियमावली गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होगी |

1- यह उपविधि नगर पंचायत गरुड़ जिला बागेश्वर की सीमान्तार्गत किसी सार्वजानिक सड़क स्थान या अन्य ऐसी अचल सम्पत्ति को जिसका प्रबन्ध नगर पंचायत गरुड़ जिला बागेश्वर द्वारा किया जाता है या नगर पंचायत प्रबन्धन में सौपा गया है व नगर पंचायत गरुड़ बागेश्वर की सम्पूर्ण सीमा में लागू होगा |

2-इन उपनियमों के अन्तर्गत शुल्क प्राप्तकर्ता छपी प्रारूप अनुसार एम०सी०/पत्रांक न०वी०/100 में एक रसीद और प्रतिपूर्ण भरेगा कार्बनयुक्त निम्न कूपन को शुल्क देने वाले व्यक्ति को देगा तथा दैनिक आय का प्रभारी प्रोग्रमिव योग इस कार्य के लिए निर्धारित स्थान पर लिख देगा | समय बीत जाने पर किसी रसीद को न तो अगले दिन दोबारा प्रयोग में लाया जायेगा और न इसे आगे के लिये बढाया जायेगा |

3-रसीद प्राप्तकर्ता नगर पंचायत गरुड़ बागेश्वर के किसी कर्मचारी अथवा अधिशासी अधिकारी / राजस्व निरीक्षक एवं अध्यक्ष / प्रशासक महोदय द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति के मांगने पर अपनी रसीद उसे दिखलायेगा ऐसा अधिकारी आवश्यक निरीक्षण के पश्चात् कूपन भरेगा और उसे प्रतिपूर्ण के साथ मिलान करके रसीद प्राप्तकर्ता को अपने हस्ताक्षर करके रशीद वापस लौटा देगा

4-प्रमुख मेलों अथवा त्योहारों के अवसर पर धारा 293(1) के अधीन अध्यक्ष / प्रशासक महोदय किसी भी स्थान को नियुक्त कर सकते है | साथ ही अन्य दिनों की अपेक्षा तहबाजारी शुल्क दुगुना अथवा अधिक कर सकते है |

5-किसी भी दुकान के सामने तहबाजारी प्राप्त करने के लिये दुकान स्वामी अथवा किरायेदार को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान के सामने वाली भूमि की तहबाजारी नगर पंचायत गरुड़ को अदा नहीं करता है तो नगर पंचायत गरुड़ द्वारा किसी अन्य फड वालों को वहां बैठने का पूर्ण अधिकार दिया जायेगा। येसी स्थिति में दूकानदार कोई भेट अथवा उपहार उससे प्राप्त नहीं कर सकेगा।

6-नगर पंचायत क्षेत्र में जो भी सामग्री सार्वजानिक स्थान पर विक्रय किया जा रहा हो उसका तहबाजारी शुल्क निर्धारित दरों में अनुसूची के अनुसार वसूला जायेगा,।

7-नगर पंचायत गरुड़ बागेश्वर के अन्तर्गत सार्वजानिक सड़क पर रेता, रोड़ी,ईट,पत्थर,सीमेन्ट आदि निर्माण सामग्री उतारने पर भी भवन स्वामी या ठेकेदार द्वारा तहबाजारी शुल्क देय होगा।

8-नगर पंचायत गरुड़ बागेश्वर के अन्तर्गत भवन स्वामी द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत कराते समय भवन निर्माण सामग्री की अवर अभियन्ता के आगणन के अनुसार तहबाजारी शुल्क अनुसूची क' के अनुसार देय होगा। एकमुस्त धनराशि जमा करनी होगी।

9-नगर पंचायत गरुड़ बागेश्वर के सीमा अन्तर्गत होडिंग,बैनर,व्यवसायिक पोस्टरों पर अनुसूची 'क' के अनुसार तहबाजारी शुल्क देय होगा।

अनुसूची 'क'

तहबाजारी दरें

क्र० सं०	विवरण	दर प्रतिदिन (प्रतिवर्ग फिट में)
1	स्थाई दुकानदार प्रति आगे फड़ लगाने का	2.00 प्रतिवर्ग फिट
2	स्थाई दुकानदार द्वारा अपनी दुकान को आगे बढ़ाने अथवा फड़ लगाने का	रुपया 2.00 प्रति वर्ग फिट में
4	स्टेशन के करीब अस्थाई फड़	रुपया 2.50
8	सड़क पर निर्माण सामग्री उतरने पर तहबाजारी शुल्क	रुपया 100.00 प्रति ट्रक
9	भवन निर्माण सामग्री मानचित्र के साथ शुल्क (अवर अभियन्ता के आगणन के अनुसार)	रुपया 100.00 प्रति ट्रक की दर से
10	होडिंग्स	रुपया 10.00 प्रतिवर्ग फिट प्रतिमाह
11	फ्लेक्सी/बैनर/पोस्टर व्यवसायिक	रुपया 10.00 प्रतिवर्ग फिट प्रतिमाह

दण्ड

भवन निर्माण सामग्री को सड़क अथवा अन्य मार्ग से तुरन्त हटाना होगा | यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लघन करेगा तो वह वैधानिक दण्ड का भागी होगा | जो नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 में है जो रूपये अर्थदण्ड 1000(रूपये एक हजार मात्र)तक होगी | यदि अपराध जारी रहे तो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमे अपराधी का अपराध किया जाता रहना सिद्ध हो रुपया 50.00 (पचास रुपया मात्र) तक हो सकता है |

राजेश कुमार जोशी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत गरूड़ बागेश्वर।

अनुराधा पाल,
जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 34 हिन्दी गजट/347–भाग 8–2024 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।